न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–विनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 208/2015

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबडी

बनाम

अप्रार्थी

1. धारूराम पुत्र भागूराम कौम भांवी निवासी रियांबडी के कायम मुकामान–
1/1 केशर बाई पत्नि निम्बाराम कौम भांबी निवासी जडाउ कलां (रियांवडी)
1/2 शांतीदेवी पत्नि जीवणराम कौम भांबी निवासी डांगावास (मेडतासिटी)
1/3 सम्पति पत्नि रामनिवास कौम भांबी निवासी जडाउ कलां (रियांबडी)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश सैन।

निर्णय दिनांक : 03-10-2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा रियांबडी के साबिका खसरा नम्बर 1353 मिन रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थी धारूराम पुत्र भागुराम जाति भाम्बी निवासी रियांबडी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की हुई थी।

अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 1970 में आवंटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के उपनियम 14 (3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2035 से 2071 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पडत के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का रियांबडी की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी की ओर से बहस कथन किया कि तहसीलदार रियांबडी ने उक्त आवेदन गलत निरर्थक व मनमाफिक आधारों पर पेश किया है, जो प्रथम दृष्ट्या निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थीगण एंव पूर्व में उसके पिता द्वारा सम्पूर्ण शर्तो का पालन किया गया था एंव कब्जा काश्त किया जा रहा था वर्तमान में भी किया जा रहा है।

अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय धारूराम को उक्त जमीन विधि के प्रावधानों के तहत् एंव नियम के तहत् आंवटन हुई थी, जो कि जमीन काश्त काबिल होने की वजह से एंव अप्रार्थीगण के पिता भूमिहीन किसान होने की वजह से उनको आंवटित की गई थी। आंवटन के पश्चात् ही उक्त भूमि पर पूर्व में अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय धारूराम का कब्जा काश्त था एंव धारूराम अपने उक्त जमीन पर खेती करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था।, अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त जमीन पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त निर्बाध एंव शांतिपूर्वक रूप से चला आ रहा है एंव वर्तमान में भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जमीन पर कब्जा काश्त है और काश्त कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। अप्रार्थीगण एक अनुसूचित जाति की महिलाएं है

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

एंव उक्त जमीन अप्रार्थीगण को उनके पिता के नाम आंवटित होने के पश्चात् पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत में प्राप्त हुई हैं, जो कि एक पुश्तैनी जमीन है। चूंकि अप्रार्थीगण के परिवार में कोई अब पुरूष नहीं होने की वजह से आस पडोस के लोगो की नियत में खोट आ गई है एंव वो जबरदस्ती उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करने की नियत झुठी मुटी शिकायते तहसीलदार को की जा रही है। ताकि तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार निरस्त किया जा सके एंव तत्पश्चात् उक्त भूमि किसी राजनैतिक पहूंच वाले एंव धनाढ्य लोगो को पुनः आंवटन करवाई जा सके। इसलिए तहसीलदार ने यह झूठा आवेदन अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है, जो प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त भूमि आज से 40–45 साल पूर्व अप्रार्थीगण के पिता को आंवटन हुई थी एंव उक्त भूमि काबिल काश्त होने की वजह से ही उक्त भूमि आंवटन हुई थी एंव इतने सालो पश्चात् तहसीलदार रियांबडी द्वारा केवलमात्र अप्रार्थीगण व उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की नियत से एंव उक्त भूमि से बेदखली की नियत से तथा अपने चहेतो को पुर्नआंवटित करने के दुराशय से कार्यवाही हाजा प्रस्तुत की है चूंकि इतने वर्षो पश्चात् किसी भी जमीन के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते। जो आवेदन पेश किया है वह परिसीमा अधिनियम 1963 से बाधित होने से तथा विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण एक अनुसूचित जाति एंव गरीब परिवार की महिलाएं है, उनके नाम उक्त जमीन के अलावा कोई अन्य जमीन रियांबडी में स्थित नहीं है। यदि उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को दिये गये खातेदारी अधिकार निरस्त कर दिये गये तो वे भूमिहीन हो जायेगे तथा उन्हे भारी असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी दशा में भी यह रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अप्रार्थी धारूराम के कायम मुकामान के विरूद्ध चलाई जा रही कार्यवाही हाजा ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा रियांबडी के साबिका खसरा नम्बर 1353 मिन रकबा 10 बीघा भूमि (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा) अप्रार्थी धारूराम पुत्र भागुराम जाति भाम्बी निवासी रियांबडी आवंटन करना बताया गया है। ग्राम रियांबडी की नकल जमाबन्दी संख्या 831 खसरा नम्बर 1353 में अप्रार्थी धारूराम पुत्र भागुराम का नाम गैर खातेदार के रूप में अंकित है। पटवारी रियांबड़ी व भू अभिलेख निरीक्षक की रूबरू मौतबिरान फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2015 के अनुसार अप्रार्थी धारूराम पुत्र भागुराम गैर खातेदार का वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की नकलों से भी अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त नहीं होने की पुष्टि होती है। आवंटित भू खण्ड पर कब्जा काश्त नहीं करके आवंटन आदेश की शर्तो की खिलाफवर्जी की जाना प्रमाणित है। वकील अप्रार्थी उक्त आवंटन होना तो स्वीकार किया है, परन्तु आवंटन पश्चात अप्रार्थी का कब्जा व काश्त के संबंध में कोई ठोस तथ्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा रियांबडी के साबिका खसरा नम्बर 1353 मिन में से रकबा 10 बीघा भूमि का अप्रार्थी धारूराम पुत्र भागुराम जाति भाम्बी निवासी रियांबडी को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर भूमि सरकारी तहवील में लेने का आदेश दियो जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:33:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: